मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :— शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

प्रेमकुमार पुत्र बेगराज बनाम 1 बेगराज पुत्र हंसराम
जाति जाट निवासी निनाण 2. महेन्द्र सिंह पुत्र बेगराज
3. सिलोचना पुत्री बेगराज
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बावत :— 88 RT ACT

मुकदमा नम्बर :— 188/2021

निर्णय दिनांक :— 7-12-21

वादी की ओर से वकील तरुण मिश्रा की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील मुंशी राम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7/12/21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही चक मौजा 6 JGW की खाता संख्या 76/67 संवत 2076-79 के मुरब्बा न० 1 किला न० 1 ता 5, मुरब्बा न० 55 के किला न० 16 ता 18 की कुल किला 8 की कुल 1.769 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता परिवादी बेगराज के नाम दर्ज है। चक 6 JGW के खाता संख्या 77/68 के मुरब्बा न० 55 के किला न० 14, 15 कुल किला 2 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मे प्रतिवादी बेगराज के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 JGW के खाता संख्या 67/63 के मुरब्बा न० 49 के किला न० 11, 12, 17 ता 24 कुल किला 10 की कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी बेगराज के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वाद भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज का नाम कलमजद किया जाकर वादी प्रेमकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र सिंह को बाहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे तर्क कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क व ड्यूटी अदा हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़